

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- मनोज सोलंकी (आर.ए.एस.)  
प्रकरण संख्या :- 9/2020

उनवान मुकदमा

1. नागजी पिता देवा जाति भील उम्र 77 वर्ष निवासी डेरी पोस्ट नापला तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाड़ा।

-प्रार्थी

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार छोटीसरवन जिला बांसवाड़ा।

-अग्रधीगन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा - 125,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक :- 25/03/2022

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि खाता संख्या नया 63 पुराना 68 के सर्वे नम्बर 755/622, 756/602, 846/622 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 2.3462 हैक्टेयर भूमि लगानी 0.47 रु० में ग्राम डेरी स्थित है। जो कि राजस्व रेकार्ड की जमाबन्दी संवत् 2074 से 2075 में वादी के नाम खातेदारी दर्ज रेकार्ड होकर उक्त कृषि भूमि का एक मात्र मालिक, स्वामी व खातेदार है तथा वादी नियमानुसार उक्त कृषि भूमि काविज होकर कृषि कार्य कर कमा रहा है तथा मोसमी फसल प्राप्त कर अपने हिस्से का लगान अदा कर रहा है। उपरोक्त खोते की सर्वे नम्बर की कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड में मुझ वादी का नाम नागजी पिता देवा अंकित कर दिया गया है, जो कि भुलवंश सहवन से अंकित कर दिया गया है, जबकि मुझ वादी का वारतविक नाम नागजी पिता देवा है।


प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर भूमिधारी को नोटिस जारी कर तलब किया। भूमिधारी की मौके एवं राजस्व रेकार्ड की रिपोर्ट प्राप्त हुई।

भूमिधारी की प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम डेरी के खाता संख्या 63 नया, 68 पुराना के खसरा नम्बर 755/622, 756/602, 846/622 कुल खसरा कित्ता 3 कुल रकबा 2.3462 हैक्टेयर लगानी 0.47 रुपया पटवार हल्का नादिया भू.अ.नि. नादिया में खातेदार नागजी के स्थान पर नागजी राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के की अनुशंघा की गई है।

**:- आदेश :-**

अतः भूमिधारी तहसीलदार छोटीसरवन की अनुशंघा के अनुसार ग्राम डेरी के खाता संख्या 63 नया, 68 पुराना के खसरा नम्बर 755/622, 756/602, 846/622 कुल खसरा कित्ता 3 कुल रकबा 2.3462 हैक्टेयर लगानी 0.47 रुपया पटवार हल्का नादिया भू.अ.नि. नादिया में खातेदार नागजी के स्थान पर नागजी राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाकर पत्रावली फेसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/03/2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

  
(मनोज सोलंकी)  
उपखण्ड अधिकारी  
छोटीसरवन, जिला बांसवाड़ा